बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

आदेश

पटना, दिनांक 09.02.2026

सं0–08/आ05–03/2025 –194/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 19 दिनांक 10.01.2025 द्वारा श्री तारकेश्वर प्रसाद मिश्र, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लक्ष्मीपुर, जमुई–सम्प्रति–सेवानिवृत्त के विरूद्ध मनमाने ढ़ंग से कार्य करने एवं आदेश की अवहेलना करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 146 दिनांक 10.02.2025 द्वारा श्री तारकेश्वर प्रसाद मिश्र, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लक्ष्मीपुर, जमुई से बचाव अभिकथन की मांग की गयी। तदालोक में श्री मिश्र द्वारा अपने पत्रांक 83 दिनांक 03.03.2025 द्वारा बचाव अभिकथन समर्पित किया गया।

श्री मिश्र से प्राप्त बचाव अभिकथन को संलग्न करते हुए निदेशालय के पत्रांक 727 दिनांक 23.07.2025 एवं पत्रांक 859 दिनांक 28.08.2025 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई से मंतव्य की मांग की गयी। उक्त के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 564 दिनांक 19.11.2025 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदित है कि किन्हीं खास परिस्थितियों (यथा स्थानीय ग्रामीणों और अन्य का विरोध) के कारण उक्त विद्यालय का प्रभार श्री दिवाकर को दिया गया था। जाँच प्रतिवेदन में भी जाँच समिति द्वारा श्री मुकेश कुमार सिंह के प्रति आक्रोश एवं श्री सिंह के अन्यत्र स्थानांतरण/प्रतिनियोजन के संबंध में टिप्पणी अंकित है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई से प्राप्त मंतव्य एवं श्री मिश्र द्वारा समर्पित बचाव अभिकथन के समीक्षोपरान्त श्री तारकेश्वर प्रसाद मिश्र, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लक्ष्मीपुर, जमुई–सम्प्रति–सेवानिवृत्त को आरोप मुक्त किया जाता है।

09/02/26
(विक्रम विरकर)
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांकः–08/आ05–03/2025–194/ पटना, दिनांक 09.02.2026

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–17 (पेंशन शाखा)/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), जमुई/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/ श्री तारकेश्वर प्रसाद मिश्र, सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लक्ष्मीपुर, जमुई, आवासीय पता, न्यू गुरूद्वारा के सामने, श्री सदन पथ, छपरा, पो0–सारण (जी0पी0ओ0), थाना–सारण, जिला–छपरा, बिहार, पिन–841301, मो0–9431644542 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इससे संबंधित को ई–मेल करना एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

09/02/26
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा